सहरिया जनजाति का ऐतिहासिक व राजनीतिक परिदृश्य : एक अध्ययन

डॉ. प्रमीला यादव
सहायक आचार्य
राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम,
करौली, राजस्थान

सारांश –सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान की सहरिया जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व राजनैतिक चेतना के स्तर का अध्ययन करना है। आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में आदिवासी उपेक्षित, शोषित, पीड़ित नजर आते है। आदिवासी किसी राज्य अथवा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में फैले है। जल, जंगल, जमीन को लेकर इनका शोषण निरंतर चला आ रहा है वर्षों से शोषित रहे समाज के लिए परिस्थितियाँ आज भी कष्टप्रद और समस्याएँ बहुत अधिक है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से राजस्थान की सहरिया जनजाति की पृष्ठभूमि व उनकी राजनैतिक पृष्ठभमि के बारे में अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द :–उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, आदिरूप, अर्वाचीन, सहस्त्र, परम्परा, संस्कृति, चक्रव्यूह, पितृसत्तात्मक।

प्रस्तावना –आदिवासी हमारे देश के मूल निवासी है। प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास की बहुमूल्य धरोहर के रूप में उन्होंने अपना "आदिरूप" प्राचीन से अर्वाचीन युग तक संजो के रखा है। इन लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय रही है। इन्हें सदैव ही अनेक प्रकार के शोषण व उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। गरासिया, सहरिया, डामौर, कथौड़ी, कंजर आदि है। इनमें से सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति में गिना जाता है।

सहरिया जनजाति–सहरिया जनजाति राजस्थान में बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में बसे हुए हैं। यह राजस्थान की आदिम जाति कहलाती है, क्योंकि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अनुसार ये आदिवासी दूसरी जनजातियों भील मीणा, डामोर, गरासिया से भी पिछड़े हैं। 'सहरिया' अरबी शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है– जंगल। कुछ विद्वानों का मानना है कि सहरिया राजस्थान के रेगिस्तान भूमि के मूल निवासी हैं और 'सहरिया' शब्द फारसी शब्द 'सेहरा' से लिया गया है जिसका अर्थ है– रेगिस्तान। सहरिया लोगों के अनुसार, 'शब्द सरिया से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है– घुमन्तु जाति, यायावरी।' एक ओर संस्करण सहरिया नाम से 'सहारा (रेगिस्तान) क्षेत्र' शब्द से सम्बन्धित है जो चंबल और यमुना के बीच

का माना गया है। पूर्व में कभी इस क्षेत्र में सेहरल जनजाति द्वारा निवास किया गया था और मुस्लिम आक्रमण के दबाव में वे लोग जंगली क्षेत्रों की ओर चले गये थे। पश्चिम हिस्सा बाद में 'सेहेरा' को सहरिया के रूप में जाना जाने लगा। विभिन्न स्थानों पर सहरिया जाति को खट्टा, सोनर, सहरिया, सोरिया, सोर इत्यादि नामों से जाना जाता है।

सहरिया जनजाति बहुल्य क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। ये लोग हाड़ौती बोली ही बोलते व समझते हैं। इनके क्षेत्र में सर्वाधिक जंगल थे, जो अब बहुत थोड़े रह गए हैं। सहरिया आदिवासी पूरी तरह वन उपजों के एकत्रीकरण पर आश्रित होते है। इस क्षेत्र की वन उपजें भी काफी महत्वपूर्ण हैं– चिरौंजी, लाख, गोंद, आंवला, महुआ, शहद, सफेद मूसली इनमें प्रमुख हैं। आज भी सहरिया जंगल से ये सब एकत्रित करता है परन्तु यह सब उससे औने–पौने दामों पर झटक लिया जाता है। अब अधिकतर सहरिया आदिवासी मजदूरी और खेती करते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे 'आदिम–जनजाति' का दर्जा प्राप्त हैं। सरकार ने इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त राजेगार प्रदान करती है। राजस्थान में यह जनजाति इतनी अल्पसंख्यक है कि 1881 में 1941 तक की राजपूताना जनगणना रिपोर्टों में इसका उल्लेख ही नहीं मिलता। केवल कोटा राज्य की 1911 एवं 1921 की जनगणना रिपोर्टों में इनके सम्बन्ध में मामूली उल्लेख मिलता है। इस दौरान इन्हे शहरों के नाम से सम्बोधित किया जाता था। 1911 में इनकी जनसंख्या 13795 थी जो कोटा राज्य की कुल जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत था। 1921 में इनकी जनसंख्या 14092 हो गयी जो कुल जनसंख्या का 2.2 प्रतिशत थी।

सहरिया जनजाति का राजनीतिक परिदृश्य–किसी भी सामाजिक व्यवस्था में नियमितत्ता व नियंत्रण बनाएं रखने के लिए जो संगठन काम करते है उन्हें राजनैतिक संगठन के रूप में जाना जाता है। चाहे इन राजनैतिक संगठनों अथवा व्यवस्थाओं का स्वरूप परम्परागत रूप से मान्य राज्य व सरकार से अलग ही क्यों ना हो। ये राजनैतिक संगठन समाज के विभिन्न सदस्यों का संगठनों के मध्य संबंधों का संचालन करते है तथा आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए दबाव का प्रयोग करते है।

सहरिया जनजाति का कभी भी राजनीति में हस्तखेप नहीं रहा और ना ही ये कभी शासकों के समीप रहे हैं ये हमेशा उपेक्षित ही रहे है। सहरिया जनजाति का प्रथक्करण पहली बार ब्रिटिश काल में टूटा जब सरकार ने इनके सघन वनों की कटाई करवाकर सड़कों का निर्माण किया इस कारण इनके समक्ष रोजी–रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। अन्य आदिवासी समुदायों के समान ही सहरिया जनजाति में भी परम्परागत राजनैतिक संगठन पाया जाता है जिसकी समाज में विशिष्ट पहचान होती है। सहरिया व अन्य आदिवायों के समान ही गांव के बाहर रहना पसन्द करते हैं सहरिया अपनी बस्ती को 'सहरना' कहते है। सहरना में एक ही गौत्र के व्यक्ति निवास करते है। सहरना के बीच में एक छतरीनुमा गोल झोपड़ी

बनाते है जिसे 'बंगला' कहते हैं 'बंगला' सहरना की सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र होता है।सहरना में आये किसी भी व्यक्ति के मेहमान को इसी बंगला में ठहराया जाता था। सहरिया जनजाति के परिवार को कुटुम्ब कहा जाता है तथा ये पितृसत्तात्मक होते है।

सहरिया जनजाति में सहरना के आधार पर ही पंचायत का गठन किया जाता है। इसका प्रमुख पटेल होता है पटेल का पद वंशानुगत होता है। सहरिया जनजाति में जाति पंचायत का प्रभाव होता है यही आपसी विवादों का निपटारा करती है इनकी पंचायत किसी विवाद के लिए प्रायश्चित व जाति बहिष्कृत का निर्णय करती है सहरिया पंचायत के 3 स्तर है :–

1. पंचताई पंचायत (सहरना स्तर)
2. एकादशिया पंचायत (11–12 गाँवों की पंचायत)
3. चौरासिया पंचायत (84 गाँवों की पंचायत)

सहरिया जनजाति द्वारा किसी भी प्रकार का बड़ा अंतिम निर्णय चौरासिया पंचायत द्वारा किया जाता है।

हथनरिया, भोपा, बराई, कोटवारा तथा गाँव के वयोवृद्ध सहरिया पंचायत के पाँच पंच के रूप में काम करते है। पंचायत के कोई भी सामाजिक व धार्मिक कार्य बिना पटेल व प्रधान के संभव नहीं है। पटेल समाज की समस्याओं को गांव की पंचायत में ही पूरा प्रयास करते है। पटेल द्वारा किसी भी तरह की अकुशलता या अपराध किया जाना है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर दूसरा पटेल चुन लिया जाता है। पंचायत में महिलाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाता और ना ही इन्हें बंगला में जाने की इजाजत होती क्योंकि उनका मानना था कि ये दूसरे गांव से आई है इसलिए इस गांव की सदस्य नहीं मानी जाती थी पंचायत का निर्णय हर स्त्री–पुरुष को मानना जरूरी होता है। परित्यक्ता या बेसहारा लड़की के माँ पिता पंच होते थे तथा वे ही उनकी जिम्मेदारी उठाते थे।

वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य पर नजर डाले तो पता चलता है कि बाह्य समाज के सम्पर्क के परिणामस्वरूप जनजातियों की राजनैतिक चेतना में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे–जैसे न्यायालय व पुलिस का प्रभाव बढ़ा है जनजातीय पंचायतों का प्रभाव कम हुआ है। वर्तमान में सहरिया जनजाति के लोग अपने आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए थाने या पुलिस की सहायता लेते है जिसमें उनकी पुरातन पंचायती की शक्तियों का ह्रास हुआ है उनका मानना है कि पंचायतों के द्वारा निर्णय में देरी व हर्जाने की राशि ना दिला पाने की बजाय लोग पुलिस की मदद लेना अधिक पसंद करते है।

राजनैतिक जागरूकता के आंकलन से निष्कर्ष निकलता है कि सहरिया समाज में महिलाएं मतदान में पुरुषों से अधिक बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती है। मतदान महिलाओं के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता वो मतदान केन्द्र तक नाचते–गाते पहुँचती है।

वर्तमान में सम्पूर्ण सहरिया समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। समाज की नयी पीढ़ी अपनी परम्परा, संस्कृति एवं इतिहास को विस्मृत करती जा रही है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों के बावजूद इनमें अभी पूर्ण चेतना का विकास नहीं हो पाया हैं सहरिया जनजाति के लोगों में संचय की प्रवृत्ति का सदैव से ही अभाव रहा है इनके लिए "आज कमाया आज गवाया" वाली कहावत सही साबित होती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शौचालय सुविधा का भी अभाव है वस्तुतः आज सहरिया जनजाति के लोग गरीबी, नशाखोरी, अशिक्षा के चक्रव्यूह में दिन प्रतिदिन फंसते हुए क्षीण हो रहे हैं।

सहरिया जनजाति के विकास हेतु किये गये संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक इनके मानव विकास पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जायेगा। मानव विकास की अवधारणा अपनी प्रकृति से ही व्यक्तियों के स्वास्थ्य, शिक्षा व गरिमामय रहन–सहन से जुड़ी हुई है। अतः जब व्यक्ति स्वस्थ एवं शिक्षित होंगे तो वे स्वतः ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और मानवाधिकारों का हनन भी कम होगा। देश की धरोहर आदिम जनजातियों का संरक्षण भी हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. श्रीवास्तव, डॉ. रश्मि, सहरिया जनजाति साहित्य एवं संस्कृति, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण प्रथम 2012
2. जोशी, करूणा, 'जनजातीय क्षेत्र में स्वतंत्रता आन्दोलन', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006
3. टॉड, कर्नल जेम्स, 'एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान', वाल्युम 3,
4. 'सेन्सस ऑफ इण्डिया', 1921, वाल्युम 33, पार्ट 1
5. मेहता, प्रकाशचन्द– आदिवासी संस्कृति एवं प्रथाएँ, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009
6. निरगुणे, बसंत, सहरिया–मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला मंडल, भोपाल, 1990
7. मीणा, शीतल, जनजातियों मानवाधिकार एवं मानव विकास, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर, 2012